**FORM NO III**

फर्द अहकाम

(नियम 20)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थगन

नवान लादू बनाम केदार

मुकदमा नम्बर 166/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| .04.2025 | मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार जाट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए अप्रार्थीगण को प्रकरण में आगामी पेशी तक आराजी ख0नं0 17/16, 17/17, 17/10 वाके ग्राम जीवली, पटवार हल्का भरथला तहसील निवाई में स्थित भूमि में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाता है यदि अप्रार्थीगण को इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि से की जाकर एवं रजि0 एडि पेश नहीं करने पर यह आदेश स्वतः खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामीदिनांक 27/5/25 को पेश हो। [initials]<br>उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक) | |
| 27/5/25 | पत्रावली पेश हुई। आज साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 6/8/25 ... को पेश हो। | |
| 25/6/25 | पत्रावली से सम्बन्धित मूल वाद की सामग्री [illegible] 13.6.25 को [illegible] (प्रार्थी) [illegible] किया गया है। जिसके [illegible] पत्रावली में अब कोई [illegible] शेष नहीं होने से पत्रावली [illegible] की जाती है। पत्रावली [illegible] | Not press<br>[initials] |

[illegible] कार्य की [illegible]
[illegible]
[illegible] है

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)